



व्यापम परीक्षा निर्देश

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर, (छ.ग.) के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा (FDLT24)

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – 12.01.2024 (शुक्रवार)
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि – 11.02.2024 (रविवार) रात्रि 11:59 बजे तक
3. त्रुटि सुधार – 12.02.2024 से 14.02.2024 तक
4. परीक्षा (FDLT24) का समय –
- (i) प्रयोगशाला सहायक (FDLT24) पूर्वान्ह
- (ii) प्रयोगशाला तकनीशियन (FDLT24) अपरान्ह
5. परीक्षा केन्द्र : – 16 जिला मुख्यालयों में

महत्वपूर्ण टीप –

- ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि सम्बंधी प्रमाण-पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्र का परीक्षण नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।
- आवेदन पत्र भरने से पहले विभाग द्वारा जारी विज्ञापन को भली-भाँति पढ़ लेवें, आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें।
- भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य लेकर रखें।
- अभ्यर्थी अपना स्वयं का फोटो .jpg/.jpeg फार्मेट में स्कैन कर कर फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 60 kb एवं न्यूनतम साइज 40 kb का हो, सेव कर रखें। (फाइल का नाम अल्फान्यूमेरिक में रखें, बीच में अंतराल तथा डॉट का प्रयोग न करें)
- साथ ही अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर का फोटो भी स्कैन कर कर एक अलग .jpg/.jpeg फार्मेट में फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 60 kb एवं न्यूनतम साइज 40 kb का हो, सेव कर रखें।

महत्वपूर्ण जानकारी

1. पात्रता :- आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्तें पूरी करते हों। मात्र आवेदन पत्र भरना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है।

2. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि :-

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी व्यापम की वेबसाइट के लिंक पर उपलब्ध फाइल से प्राप्त की जा सकती है।

3. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि :-

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अभ्यर्थी को भरे हुए आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु निम्न निर्देश दिया जाता है -

1. ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फार्म जमा करने के लिए **निर्धारित समय-सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं** । इसके अलावा ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी 03 दिवस का समय दिया जायेगा ।
2. **OMR उत्तरशीट में परीक्षा दिवस के दिन कोई भी त्रुटि सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी** ।
3. ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि/त्रुटि सुधार कर की गई प्रविष्टि के अनुसार ही प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा ।

4. प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :-

परीक्षा के लगभग 07 से 10 दिन पूर्व एडमिट कार्ड व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा । अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा पश्चात् भी एडमिट कार्ड को संभालकर रखें । काउंसलिंग के समय तथा सर्विस ज्वानिंग के समय इसे प्रस्तुत करना होगा। एडमिट कार्ड की द्वितीय प्रति व्यापम द्वारा प्रदाय नहीं किया जावेगा ।

पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जायेगा।

5. हेल्प लाइन संबंधी जानकारी :-

ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे (कार्यालयीन समय) के बीच 0771-2972780 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं । साथ ही अवकाश के दिनों में मोबाइल नंबर 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं ।

6. पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी :-

उक्त परीक्षा हेतु विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जिसका अवलोकन कर लें, आवश्यक समझे तो प्रिंट आउट प्राप्त कर लें ।

7. परीक्षा कक्ष में प्रवेश :-

(अ) परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लायें-

- (1) परीक्षा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) - ऑनलाइन से प्राप्त प्रवेश पत्र में यदि फोटो प्रिंट न हुआ हो तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर परीक्षा केन्द्र में जावें
- (2) नीला/काला डाटपेन ।
- (3) अभ्यर्थी अपने साथ मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, पैन कार्ड, वोटर आई डी लेकर ही परीक्षा केन्द्र में आयेंगे जिससे कि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके । **मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने से उन्हें वंचित किया जायेगा ।**

नोट- अभ्यर्थी के पास अन्य सामग्री जैसे सामान्य केलकुलेटर, लॉगटेबिल साइंटिफिक केलकुलेटर, पेपर, मोबाईल फोन आदि पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी का प्रकरण अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में दर्ज किया जावेगा ।

(ब) परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

8. परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन पद्धति :-

8.1 प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर तीन समान बार कोड संलग्न है । परीक्षार्थी एक बार कोड को ओ.एम.आर. शीट पर, दूसरे बार कोड को प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर व तीसरे बार कोड को उपस्थिति पत्रक पर सावधानीपूर्वक इंगित स्थान पर अवश्य चिपकायें ।

- 8.2 प्रश्नपत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 01 अंक देय होगा। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को हल करने हेतु 02:00 घंटे का समय दिया जावेगा। दिए गये प्रश्नों के चार विकल्प में से एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तरशीट (OMR) में नीले/काले डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा। गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (-) ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर नियत अंक का 1/4 अंक काटे जायेंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिए शून्य (zero) अंक प्रदान किये जायेंगे।

9. दावा/आपत्ति का निराकरण :-

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद व्यापम द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र विश्लेषण पश्चात् मॉडल उत्तर तैयार कराया जाता है तथा उसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी को व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर सप्रमाण दावा/आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा।) व्यापम की वेबसाइट पर दावा आपत्ति सेक्शन में जाकर दावा आपत्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा।

व्यापम पोर्टल पर दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीयन क्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करानी होगी। दावा आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मेनुअल URL के मुख्य पृष्ठ पर दिया गया है। कृपया इसका भलीभाँति अध्ययन कर लें। दावा आपत्ति को पोर्टल पर पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिये जाने वाले दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर लें।

नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति, पोर्टल पर स्वीकार नहीं होंगे। बिना प्रमाण का दावा/आपत्ति को पूर्णतः अमान्य किया जावेगा। प्राप्त दावा/आपत्ति के परीक्षण पश्चात् विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा। दावा/आपत्ति के सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही मान्य किया जावेगा। प्रत्येक प्रश्न का दावा/आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने पर अमान्य किया जायेगा। कितने भी प्रश्नों पर दावा/आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करने पर उन पर विचार किया जायेगा।

प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण पश्चात् निराकरण किया जाता है तथा मॉडल उत्तर में आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात् अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है, जिसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाता है। व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।

10. त्रुटि पूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात् मॉडल उत्तर एवं दावा/आपत्ति के निराकरण पश्चात् अंतिम उत्तर तैयार कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है।

निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं-

1. प्रश्न की संरचना गलत हो,
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो,
3. कोई भी विकल्प सही न हो,
4. किसी प्रश्न के हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर में अंतर हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और एक भी सही उत्तर स्पष्ट न होता हो.
5. मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो।

विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिये सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण के लिए 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र जिसमें कुल अंक 100 है, में से 06 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी 94 प्रश्नों में से 60 प्रश्नों का सही उत्तर अंकित करता है, 34 प्रश्नों का गलत उत्तर अंकित करता है तथा निगेटिव मार्किंग होने से 18 प्रश्नों का उत्तर अंकित नहीं करता तो उसके कुल अंकों की गणना इस प्रकार होगी –

$$\begin{array}{rcl} \text{सही उत्तरों की संख्या} & - & \text{गलत उत्तरों की संख्या एवं काटे गये अंक} = \text{अभ्यर्थी का प्राप्तांक} \\ 60 & - & 34 & = & 60 - 8.5 = 51.5 \\ & & \frac{\quad}{4} = 8.5 & & \end{array}$$

$$\frac{\text{प्राप्तांक} \times \text{कुल प्रश्न}}{\text{कुल प्रश्न} - \text{निरस्त प्रश्न}} = \frac{51.5 \times 100}{100 - 6} = \frac{5150}{94} = 54.787 \text{ कुल प्राप्तांक}$$

तदनुसार कुल प्राप्तांक के आधार पर मेरिट निर्धारित होगी ।

11. परीक्षा परिणाम :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर मेरिट सूची एवं कुल प्राप्तांक घोषित की जावेगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर देख सकते हैं तथा प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।

12. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन ओ.एम.आर. मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है।

13. क्षेत्राधिकार (JURISDICTION) :-

व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।

व्यापम द्वारा जारी परीक्षा जिला कोड तथा समन्वयक केन्द्रों के नाम –

क्र.	जिला का नाम	जिला कोड	महाविद्यालय का नाम	दूरभाष नंबर
1	सरगुजा (अम्बिकापुर)	11	राजीव गांधी शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, अम्बिकापुर	07774-230921
2	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	12	शासकीय महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर (कोरिया)	07836-232252
3	बिलासपुर	13	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव, स्नातकोत्तर विज्ञान महा., बिलासपुर	07752-246430
4	दंतेवाड़ा	14	शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा	07856-240087
5	धमतरी	15	बाबू छोटेलाल शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, धमतरी	07722-237933
6	दुर्ग	16	विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महा., दुर्ग	0788-2211688
7	जगदलपुर (बस्तर)	17	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	07782-229340
8	जांजगीर-चांपा	18	शासकीय पी.जी. टी.सी.एल. महाविद्यालय, जांजगीर-चांपा	07817-222240
9	जशपुर नगर	19	शासकीय पी.जी.एन.ई.एस. महाविद्यालय, जशपुर नगर	07763-223539
10	कांकेर	20	भानुप्रतापदेव शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर	07868-222028
11	कबीरधाम	21	आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महा, कबीरधाम	07741-232496
12	कोरबा	22	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कोरबा	07759-221458
13	महासमुंद	23	शासकीय महाविद्यालय, महासमुंद	07723-222048
14	रायगढ़	24	किरोडीमल शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़	07762-222966
15	रायपुर	25	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	0771-2263131
16	राजनांदगाँव	26	शासकीय पी.जी. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव	07744-225036

नियंत्रक
छ.ग. व्यापम, नवा रायपुर

संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर (छ.ग.)
पुजारी पार्क, पुलिस लाईन कैम्पस, टिकरापारा रायपुर (छ.ग.)

::विज्ञापन::

क्र./रान्याविप्र/स्था/भर्ती/ M-4610 /2023 रायपुर,

दिनांक- 29/09/2023

छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-68/दो-गृह/FSL/2019 अटल नगर, दिनांक 25.09.2023 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर के स्वीकृत सीधी भर्ती के निम्नांकित रिक्त पदों को नियमानुसार भरने की अनुमति प्रदान की गई।

अतः शासन के निर्देशानुसार संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2007 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 11.11.2022 के प्रावधान अनुसार तृतीय श्रेणी के पद, प्रयोगशाला तकनीशियन के 08 पद तथा प्रयोगशाला सहायक के 08 पद कुल 16 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के वेबसाइट <http://vyapam.cgstate.gov.in/> पर आमंत्रित किये जाते हैं।

(1) रिक्त पदों की संख्या एवं वेतनमान (7वां वेतनमान अनुसार) :-

1. प्रयोगशाला तकनीशियन - 08 पद (बेसिक 28700/-वेतन मैट्रिक्स लेवल-7)
2. प्रयोगशाला सहायक - 08 पद (बेसिक 22400/-वेतन मैट्रिक्स लेवल-5)

(2) रिक्त पदों में आरक्षण :-

1. प्रयोगशाला तकनीशियन						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				योग
		मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपुरी	
1	अनारक्षित	03	01	-	-	03
2	अनुसूचित जाति	02	-	-	-	02
3	अनुसूचित जनजाति	02	-	-	-	02
4	अपिव (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	01	-	-	-	01
योग-						08
2. प्रयोगशाला सहायक						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				योग
		मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपुरी	
1	अनारक्षित	04	01	-	-	04
2	अनुसूचित जाति	01	-	-	-	01
3	अनुसूचित जनजाति	02	-	-	-	02
4	अपिव (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	01	-	-	-	01
योग-						08
कुल योग-						16

(3) अनिवार्य अर्हताएं :-

(अ) प्रयोगशाला तकनीशियन हेतु अनिवार्य अर्हताएं:-

विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि (भौतिकी/रसायन/वनस्पति/प्राणीविज्ञान/फॉरेंसिक साइंस/बायोटेक्नोलॉजी/सूक्ष्मजीव विज्ञान में से किसी एक विषय सहित बी.एस.सी. उपाधि)
वांछनीय :- विज्ञान प्रयोगशाला में 02 वर्ष कार्य करने का अनुभव।

(ब) प्रयोगशाला सहायक हेतु अनिवार्य अर्हताएं:-

(ब) प्रयोगशाला सहायक हेतु अनिवार्य अर्हताएं:-

विज्ञान विषय सहित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा विज्ञान विषय सहित 10+2 शिक्षा प्रणाली उत्तीर्ण होना चाहिए।

वांछनीय :- विज्ञान प्रयोगशाला में 02 वर्ष कार्य करने का अनुभव।

(4) आयु सीमा:-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के मूल/स्थानीय निवासियों को कैलेण्डर वर्ष 2023 में निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी अर्थात् 40 वर्ष आयु-सीमा की छूट होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (किमीलेयर को छोड़कर) महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, सविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को शासन के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु-सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूट को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उच्चतर आयु सीमा के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देश भी लागू होंगे।

(5) नियम एवं शर्तें:-

1. उक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जावेगी। परीक्षा उपरांत प्राप्तांक की सूची जारी की जावेगी।
2. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संचालक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर (छ.ग.) के पास सुरक्षित रहेगा।
3. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूलप्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित (Carry Forward) नहीं किए जाएंगे, वरन् उस प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है।
5. दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के पद के विरुद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमी लेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे होरिजेण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा।
6. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
7. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति छ.ग.शासन वित्त निर्देश 33/2023 दि. 12.09.2023 के निर्देशानुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
8. सगान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी।
9. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें।
10. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को चयन की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूलरूप से प्रस्तुत करना होगा।


(6) महत्वपूर्ण टीप :-

1. विज्ञापित पदों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।

2. भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
3. लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा शहर/केन्द्र तक जाना होगा, इसके लिए-यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा।
4. विस्तृत विज्ञापन, परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि, परीक्षा संचालन, ऑनलाइन आवेदन तथा अन्य जानकारी व्यापम की वेबसाइट <http://vyapam.cgstate.gov.in/> एवं विभाग की वेबसाइट www.fslcg.nic.in पर देखा जा सकता है।
5. उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ एवं चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल. पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होंगी।
6. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैन्युअल अथवा पंजीकृत डाक एवं स्पीडपोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।

(7) परीक्षा निर्देश-

व्यापम द्वारा जारी परीक्षा निर्देश व्यापम की वेबसाइट <http://vyapam.cgstate.gov.in> पर उपलब्ध है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप, आवेदन पत्र भरने की विधि, आवेदन पत्र में फोटो, हस्ताक्षर एवं बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान स्कैन करने एवं पोस्ट करने की ऑनलाइन विधि, अभ्यर्थी को प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. नंबर के आधार पर ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त करने की विधि तथा जानकारी दी गई है।


29/09/2023


संचालक

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला
रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठा.क्र./रा.न्या.वि.प्र./स्था./भर्ती/ 11-4610-A/2023 दिनांक- 29/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, जनसम्पर्क विभाग, को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु कृपया सूचनार्थ।
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


29/09/2023

संचालक

राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला
रायपुर (छ.ग.)